भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये Rs.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

53AC 743562

यह जनरल स्टाम्प पेपर कृषक महाविद्यालय समिति
ग्राम सुराई पो० सठियांव
जिला आजमगढ़ पंजीकृत नं० ५-१८८७५
संशोधित स्मृति-पत्र संलग्न है।

आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़ कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उ० प्र०

प्राचार्य
आर० के० होम्योपैथिक फार्मेसी
गाजीपुर सुराई, सठियांव, आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक ५।०५।२०१५
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।
२१।५।१५

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

संख्या 619 / 03-7-19

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या: 231/2019–20

फाइल संख्या–G-18875

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कृषक महाविद्यालय समिति, ग्राम–सुराई, पो0–सठियांव, जनपद–आजमगढ़, उ0प्र0 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या: 332/1994–95, दिनांक 10.06.1994 को दिनांक 09.06.2019 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1100/– रूपये नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 01–07–2019

01/07/2019

प्राचार्य
आर0 के0 होम्योपैथिक फार्मेसी
काशीपुर,सुराई,सठियाँव,आजमगढ

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

७: गरीब व होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति,पुस्तकालय सहायता उपलब्ध कराना ।

८: सामान्य व गरीब महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना तथा दान,अनुदान,चन्दा एवं शुल्क आदि एकत्र करना ।

९: वृद्ध,वृद्धाओं के कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाना व वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।

१०: समाज में फैली कुरीतियों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाना ।

११: सफाई व स्वास्थ्य , परिवार नियोजन हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना व आवश्यकतानुसार सहायता करना ।

१२: सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशु शिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना व आवश्यकतानुसार बच्चों की सहायता करना ।

१३: विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाना व उनकी सहायता करना।

१४: महिलाओं हेतु श्रमजीवी महिला छात्रावास व अध्ययनरत छात्राओं हेतु हास्टल की व्यवस्था व संचालन करना ।

१५: यह संस्था मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उत्थान के लिए संचालित की जा रही है जिसमें अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति,इतिहास शिक्षा का प्राविधान किया जायेगा यद्यपि यह संस्था सभी वर्गों के छात्रों के लिए खुली रहेगी ।

१६: ए.एन.एम,जी.एन.एम.,बी.एस.सी.,नर्सिंग,पोस्ट बी.एस.सी.नर्सिंग, एम.एस.सी. नर्सिंग आयुर्वेदिक उपचारिका एवं फार्मासिष्ट,होम्योपैथिक, यूनानी उपचारिका एवं फार्मासिष्ट तथा पैरामेडिकल कालेज,एलोपैथिक मेडिकल कालेज,,आयुर्वेदिक,होम्योपैथिक, यूनानी मेडिकल कालेज आदि सभी कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

प्राचार्य
आर० के० होम्योपैथिक फार्मेसी
...पुर,मुराई,सठियॉव,आजमगढ़

सत्य-प्रतिलिपि
सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

-: संशोधित स्मृति पत्र :-

१:संस्था का नाम : कृषक महाविद्यालय समिति ।
२:संस्था का पता : ग्राम- सुराई पो०- सठियांव, जिला- आजमगढ़ ।
३:संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।
४:संस्था के उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें :-

१: शिक्षा के विकास हेतु महाविद्यालय,स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल,इंजीनीरिंग कालेज,फार्मेसी कालेज,डेन्टल कालेज आदि को खोलना एवं संचालन करना तथा उनके विकास हेतु बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेना ।

२: विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, कृषकों तथा पिछड़ी जाति एवं पिछड़े के शैक्षणिक,प्राविधिक,शारीरिक, प्रौद्योगिकी विकास हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना ।

३: छात्रों के वैज्ञानिक आर्थिक सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर को ऊँचा करने के लिए अन्य विकासात्मक कार्य जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, हरिजन विद्यालय निःशुल्क पुस्तकालय,वाचनालय की स्थापना करना तथा कला एवं साहित्य के प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्य करना

४: अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के वैज्ञानिक,आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर को ऊँचा करने के लिए अन्य विकासात्मक कार्य जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा,हरिजन विद्यालय,पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था करना, तथा कला एवं साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना ।

५: समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गये अभिनव प्रयोग,जनहित में निम्नलिखित कार्यों को करना ।

६: छात्रों में स्वस्थ्य भक्ति सहित उत्तरदायित्व वहन, समय पालन,सदाचार, शिष्टाचार विनम्रता,साहस,अनुशासन,आत्मसम्मान,आत्म संयम,समाजसेवा सभी धर्मों के प्रति आदर एवं सहिष्णुता आस्था तथा अर्न्तराष्ट्रीय एवं विश्व बन्धुत्व की भावना का विकास करना ।

प्रमाणितकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

FIVE RUPEES FIVE RUPEES

पाँच रुपये

यह जनरल स्टाम्प पेपर कृषक महाविद्यालय समिति

जिला इलाहाबाद फाइल नं L.A.O.18875

[illegible] के साथ संलग्न है।

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम, पिता/पति का नाम,पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया :-

क्र०सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री ऐनुल अंसारी	पूरानी बस्ती, सादात,गाजीपुर	अध्यक्ष	व्यापार
२:श्री ज्ञानचन्द यादव	ग्राम नगदहा पो० आलापुर,आजमगढ़	उपाध्यक्ष	नौकरी
३:श्रीमती शशिकला	ग्राम सुराई पो० सठियांव,आजमगढ़	प्रबन्धक/मंत्री	„
४:श्री त्रिलोकीनाथ यादव	ग्राम भगवानपुर चकिया पो० गोविन्द साहब,अम्बेडकरनगर	उपप्रबन्धक/ उपमंत्री	कृषि
५:श्री राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम,पो० सादात,गाजीपुर	सदस्य	„
६:श्री मुन्नीलाल	ग्राम,पो० डिहिया,गाजीपुर	„	„
७:श्री श्यामकेर	ग्राम,पो० मिर्जापुर,गाजीपुर	„	„
८:श्रीमती सविता	ग्राम,पो० सठियांव,आजमगढ़	„	गृहिणी
९:श्री रामेश कुमार	ग्राम,पो० कोलघाट,आजमगढ़	„	कृषि
१०:श्री मु० शाहनवाज	हुगली,कोलकत्ता,प० बंगाल	„	„

६:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सो०रजि०ऐक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं।

दिनांक सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के स्पष्ट हस्ताक्षर

मुन्नी लाल यादव

मिलानकर्ता

प्रतिलिपिकर्ता

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़।

संशोधित स्मृति पत्र

1- संस्था का नाम: कृषक महाविद्यालय समिति।

2- संस्था का पता: ग्राम-बुढ़ई, पो० सठियांव, जिला-आजमगढ़।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र: समस्त उत्तर प्रदेश।

4- संस्था का उद्देश्य: संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1: शिक्षा के विकास हेतु महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, डेन्टल कालेज आदि की स्थापना एवं संचालन करना। तथा उनके विकास हेतु केन्द्र/विदेशी सहायता लेना।

2: विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको तथा पिछड़ी जाति एवं पिछड़े वर्ग के शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास हेतु विद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना।

3: छात्रों के वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा शैक्षिक स्तर को ऊँचा करने के लिए अन्य विकासात्मक कार्य जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, हरिजन विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना करना तथा कला एवं साहित्य प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्य करना।

4: अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा [illegible] स्तर को ऊँचा करने के लिए अन्य विकासात्मक कार्य जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, हरिजन विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय की स्थापना [illegible] कला एवं साहित्य के प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्य करना।

5: समय-समय पर शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा [illegible] नये अभिनव प्रयोग, जनहित में अन्य विकासात्मक कार्य भी करना।

6: छात्रों में स्वस्थ्य शारीरिक मानसिक उत्तरदायित्व पूर्ण, समय पालन, सदाचार, शिष्टाचार, विनम्रता, साहस, अनुशासन, आत्मसम्मान, आत्मसंयम, समाजसेवा, सभी धर्मों के प्रति आदर एवं सहिष्णुता आस्था तथा अन्तर्राष्ट्रीय एवं विश्वबन्धुत्व की भावनाओं का विकास करना।

7: गरीब व होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराना।

8: असहाय व गरीब महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना तथा दान, अनुदान, चन्दा एवं ऋण आदि [illegible]

9: [illegible] छात्रों के कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाना व छात्रावास की स्थापना करना।

10: समाज में फैली कुरीतियों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

11: पर्यावरण व स्वास्थ्य, परिवार नियोजन हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना व आवश्यकतानुसार सहायता करना।

12: बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिशु शिक्षा केन्द्रों [illegible] सहायक निबन्धक संचालन करना व आवश्यकतानुसार बच्चों की सहायता करना। [illegible] कार्यक्रम [illegible] द्वारा चलाना। तथा एम, नर्सिंग एवं [illegible] की स्थापना एवं संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि

मिलानकर्ता

प्रतिलिपिकर्ता

ह०रा० के० होम्योपैथिक फार्मेसी
[illegible], बुढ़ई, सठियांव, आजमगढ़

INDIA

पांच रुपये

FIVE RUPEES सत्यमेव जयते FIVE RUPEES

यह जनरल स्टाम्प पपर ...एकमांहा विद्यालय ...
...अंक ...
जिला आजमगढ़ ... फाइल नं 60:18225
सोसाइटी नियमावली के साथ संलग्न है।

सत्य-प्रति

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़

प्राचार्य
आर० के० होम्योपैथिक फार्मेसी
...पुर, सुराई, ..., आजमगढ़

स्मृति-पत्र / नियमावली

नाम - कृष्णा मदर विद्यालय समिति।

कार्यालय - ग्राम सुराई, पो० [illegible], जनपद आजमगढ़।

कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

समिति की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

भारत वर्ष का कोई भी नागरिक जिसकी अवस्था 18 वर्ष हो तथा संस्था के उद्देश्यों में उसकी आस्था रखता हो प्रधान संस्थापक की पूर्व स्वीकृति से संस्था की सदस्यता ग्रहण कर सकता है जिसके वर्ग निम्न होंगे :-

1. संस्थापक सदस्य - जो व्यक्ति संस्था के लिए महान त्याग किये हों एवं जो अपना बहुमूल्य योगदान दिये हो तथा संस्था को दो लाख रुपया चन्दा अथवा तीन बिघा जमीन देंगे वे संस्था के आजीवन प्रधान संस्थापक सदस्य होंगे। यह पद वंश परम्परा के आधार पर चलता रहेगा या उनकी मृत्यु के बाद इनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति आजीवन संस्थापक सदस्य रहेगा।

संस्थापक सदस्यों को मिला कर संस्थापक मण्डल का गठन किया जायेगा जिसमें बहुमत के आधार पर एक प्रधान संस्थापक का चयन किया जायेगा जो संस्था का प्रधान संस्थापक होगा।

2. आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनना चाहता है वह अपना प्रार्थना पत्र तथा [illegible] रुपया प्रधान संस्थापक के पास देगा प्रधान संस्थापक की स्वीकृति पर वो संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

3. विशिष्ट सदस्य - यदि किसी व्यक्ति में कोई विशेषगुण है जिसकी संस्था को आवश्यकता है अथवा किसी व्यक्ति के रहने से संस्था का विकास सम्भव है तो उस व्यक्ति को संस्थापक मण्डल निःशुल्क एक वर्षीय सदस्य बना सकता है। परन्तु इस प्रकार के सदस्यों की कुल संख्या 1/2 भाग ही होगी।

4. साधारण सदस्य - जो व्यक्ति संस्था का सामान्य सदस्य बनना चाहता है वह प्रार्थना पत्र के साथ 500 रुपया चन्दा प्रधान संस्थापक के पास जमा करेगा।

संस्थापक मण्डल की स्वीकृति पर वो एक वर्ष के लिए सामान्य सदस्य बनाया जा सकता है।

यदि लगातार पाँच वर्षों तक सामान्य सदस्य अपना पैसा चन्दा रूपया देता रहेगा तो संस्थापक मण्डल की स्वीकृति पर वो सामान्य सदस्य बनाया जा सकता है।

5. सदस्यता की समाप्ति - निम्न परिस्थितियों में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी

1. मृत्यु हो जाने अथवा मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाने पर।

2. न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित होने पर।

3. संस्था के नियमों का पालन न करने अथवा संस्था [illegible] संस्था की बैठकों में [illegible] कारणों [illegible]

5. [illegible] संस्थापक मण्डल [illegible] सदस्यों द्वारा [illegible] पर। यह नियम प्रधान संस्थापक पर लागू नहीं होगा।

6. [illegible] संस्था को [illegible] संस्था [illegible]

7. [illegible]

सत्य-प्रतिलिपि

प्राचार्य

आर० के० होम्योपैथिक कालेज

कासीपुर, सुराई, सठियाँव, आजमगढ़

विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाना व उनकी सहायता करना।

14: परीक्षाओं हेतु शत प्रतिशत परीक्षा छात्रावास व अध्ययनरत छात्राओं हेतु छात्रावास की व्यवस्था व संचालन करना [illegible]

15: यह संस्था मुस्लिम अल्पसंख्यकों के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए स्थापित की जा रही है जिसमें अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति, धार्मिक शिक्षा का प्रविधान किया जायेगा यद्यपि पठन-पाठन सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए खुली रहेगी।

5: प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया:-

क्र०सं०-नाम	पता	पद	व्यवसाय
1 श्री [illegible]	[illegible], ग़ाज़ीपुर	अध्यक्ष	व्यापार
2 श्री [illegible]	ग्राम [illegible], पो० [illegible], आजमगढ़	उपाध्यक्ष	नौकरी
3 श्रीमती [illegible]	[illegible], जिला आजमगढ़	प्रबन्धक/मंत्री	,,
4 श्री [illegible]	[illegible], अम्बेडकर नगर	उपप्रबन्धक/ [illegible]	
5 श्री [illegible]	ग्राम, पो० [illegible], ग़ाज़ीपुर	सदस्य	
6 [illegible]	ग्राम, पो० [illegible], ग़ाज़ीपुर	,,	,,
7 श्री [illegible]	ग्राम, पो० [illegible], ग़ाज़ीपुर	,,	,,
8 श्रीमती सविता	ग्राम, पो० [illegible], आजमगढ़	,,	,,
9 श्री [illegible]	ग्राम, पो० [illegible], जिला आजमगढ़	,,	,,
10 [illegible]	[illegible], कोलकाता, पश्चिम बंगाल	,,	नौकरी

6: हम निम्न हस्ताक्षर कर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं :-

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आजमगढ़

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

कि संस्थापक मण्डल के सदस्य माने जायेंगे। संस्थापक मण्डल का प्रधान स्मृति पत्र में दिये गये प्रबन्धक/मंत्री ही संस्था के आजीवन प्रधान संस्थापक होंगे। इन्हीं को संस्थापक मण्डल के सदस्य बनाने का अधिकार होगा क्यों कि इनके द्वारा ही संस्था की स्थापना की गयी तथा जमीन, जायदाद तथा [illegible] भी दान किये हुए हैं इसे इन्हीं का सहयोग रहा है इस लिए जीवन पर्यन्त प्रधान संस्थापक रहेंगे इन्हीं के नेतृत्व में संस्थापक मण्डल का गठन होगा। संस्थापक मण्डल संस्था की सर्वोच्च सभा होगी।

ख:
प्रधान संस्थापक मण्डल की बैठक बुलायेगा ऐसी बैठक होने के दस दिन के पहले बैठक के दिन स्थान समय तथा कार्यक्रम की सूचना सम्बन्धित सदस्य को देगा।

ग: संस्थापक मण्डल के अधिकार व कर्तव्य:-

क: दिन प्रतिदिन के करने योग्य उन सब बातों पर विचार करना जिन्हें कुन्त किया जाना है।

ख: साधारण सभा या प्रबन्धकारिणी समिति में जिन मामलों और प्रस्तावों [illegible] किया हुआ होना है उनकी सामग्री संकलन करना तथा कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणों [illegible] प्रस्तुतियों पर विचार कर स्वीकार या अस्वीकार करना।

ग: प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा में निहित अधिकारों पर नियंत्रण करना।

घ: प्रबन्धकारिणी समिति तथा साधारण सभा में जो निर्णय हुए है उन्हें क्रियान्वित करना।

ङ: प्रधान संस्थापक ही साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

च: प्रधान संस्थापक सदस्य की सलाह से ही प्रबन्धक/मंत्री किसी को सदस्य बना सकते है।

8 साधारण सभा

अ: गठन

साधारण सभा का गठन नियमावली कंडिका 4 में वर्णित सभी प्रकार के सदस्यों को मिला कर किया जायेगा।

बैठकें

साधारण सभा की बैठक सामान्यतः वर्ष में एक बार हुआ करेगी तथा विशेष बैठक किसी भी समय प्रधान संस्थापक की अनुमति से बुलाई जायेगी।

सभा सूचना अवधि

साधारण सभा की बैठक की सूचना सामान्यतः बैठक से 15 दिन पूर्व दस्ती, रजिस्टर्ड लेटर, अण्डर पोस्टिंग सर्टिफिकेट तथा समाचार पत्र में से किसी एक के माध्यम से दी जायेगी विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दस्ती या समाचार पत्र के माध्यम से दी जायेगी सूचना देने का कार्य प्रधान संस्थापक द्वारा किया जायेगा।

[illegible]

साधारण सभा की बैठक की कोरमपूर्ति कुल सदस्यों की 2/5 उपस्थित पर मानी जायेगी इसके अभाव में बैठक स्थगित कर किसी दूसरे [illegible] बुलाई जायेगी। स्थगित बैठक की कोरमपूर्ति पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

द: विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि: संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार कुल माह में हुआ करेगा। जिसमें वार्षिक आयव्यय बजट का अनुमोदन अगले आय व्यय की स्वीकृति तथा संस्था के विकास पर विचार विमर्श किया जायेगा। एवं वार्षिक आय व्यय [illegible] होगी।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक

फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

[illegible]

मिलानकर्ता [illegible]

प्रतिलिपिकार

प्रापार्स

[illegible] फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

कानपुर

साधारण सभाके अधिकार व कर्तव्य:-

1.संस्था को संस्थापक मण्डल द्वारा किये गये निर्णय पर अपनी स्वीकृति प्रदान करना तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा विचार के लिए भेजे गये प्रस्तावों मांगों आदि पर विचार करना।

2.संस्था की सामान्य नीति उसके कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्धारण क[illegible]

3.प्रधान संस्थापक की अध्यक्षता में प्रबन्धकारिणी [illegible] पदाधिकारियों का चुनाव कराना।

4.संस्था की वार्षिक रिपोर्ट आय व्यय ब्यौरा आदि को स्वीकार करना।

5.वे सभी कार्यों पर अमल करना जिसके लिए संस्थापक मण्डल द्वारा अपेक्षा क[illegible]

6.साधारण सभाके किसी भी निर्णय पर प्रधान संस्थापक सदस्य का हस्त[illegible] के बाद ही विधि मान्य समझा जायेगा।

7.प्रबन्धकारिणी समिति संगठन

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभाके सदस्यों में से किया जायेगा जिसमें पदाधिकारियों सहित कुल 10 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/मंत्री, एक उपप्रबन्धक, एक एक कोषाध्यक्ष कुल 5 पदाधिकारी हैं। प्रबन्धक/मंत्री का मनोनयन प्रधान संस्थापक द्वारा किया जायेगा। शेष पदाधिकारियों एवं सदस्यों का प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा।

बैठकें

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक हर तीसरे माह [illegible] विशेष बैठक प्रबन्धक/मंत्री के द्वारा किसी भी समय आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्यतः सम्बन्धित सदस्यों को बैठक से 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना बैठक से 24 घण्टे पूर्व दस्ती अथवा लिखित रूप से दी जायेगी।

8.गणपूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की गणपूरक संख्या कुल सदस्यों की 3/4 उपस्थिति से पूर्ण मानी जायेगी जिसमें प्रबन्धक/मंत्री की उपस्थिति आवश्यक होगी इसके अभाव में बैठक स्थगित द्वारा स्थगित करके किसी दूसरे दिन बुलाई जायेगी।

9.रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि:- प्रबन्धकारिणी समिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति आदि यदि प्रबन्धक/मंत्री का स्थान रिक्त होता है तो और प्रबन्धक/मंत्री द्वारा किसी को अपना भार सौंपा न जाय तो उस स्थिति में संस्थापक मण्डल के शेष सदस्यों में से संस्थापक मण्डल द्वारा की जायेगी तथा शेष पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कोई स्थान रिक्त होता है तो प्रबन्धक/मंत्री साधारण सभाके सदस्यों में से निर्देशन द्वारा उस स्थान की पूर्ति की जायेगी।

10.प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य:-

सत्य-प्रतिलिपि

1.संस्थापक मण्डल व साधारण सभाकी बैठक में लिए गये निर्णयों को क्रियान्वित करना।

2.संस्था की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

3.संस्था के प्रबन्धक/मंत्री के प्रतिवेदन पर दोषी पाये गये [illegible] अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

मिलानकर्ता
प्रतिलिपिकर्ता

5: यह संस्था कोषाध्यक्ष व अन्य सम्पत्ति की सुरक्षा करेगा तथा लेखा जोखा तथा उनकी आवश्यक मरम्मत अध्यक्ष के माध्यम से कराने की व्यवस्था करेगा।

6: यह संस्था की आय व्यय की जांच करेगा, ऑडिट लेखा परीक्षक से करायेगा तथा उसकी आपत्तियों का उत्तर देगा।

7: यह संस्था के सभी सदस्यों व वैतनिक कर्मचारियों के कार्य पर नियंत्रण रखेगा तथा उनका मार्ग दर्शन करायेगा।

8: यह संस्था की ओर से समस्त महत्वपूर्ण कागजों विवरणों आदि पर हस्ताक्षर करेगा।

9: यह संस्था की सम्पूर्ण व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखेगा और संकट के समय में यह अध्यक्ष को उचित कार्यवाही के लिए अपना परामर्श देगा।

10: संस्था के हित में यह उन कार्यों को करेगा या करवायेगा जिनको जिन्हें यह उचित समझता हो।

11: प्रबन्धक/मंत्री अपनी अनुपस्थिति में अपना सम्पूर्ण अधिकार किसी भी व्यक्ति को लिखित रूप से सुपुर्द कर सकते हैं।

द: उपप्रबन्धक/उपमंत्री के अधिकार व कर्तव्य:-

1: प्रबन्धक/मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

2: वे सभी कार्य करना जिनके लिए लिखित रूप से उन्हें प्रबन्धक द्वारा सुपुर्द किये जाय।

य: कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य:-

1: कोषाध्यक्ष प्रबन्धक/मंत्री के सहयोग से संस्था के आय व्यय का लेखा रखेगा उसकी जांच करेगा और करायेगा तथा उसे संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करेगा।

2: यह संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करेगा उसका लेखा जोखा तथा उसकी आवश्यक मरम्मत प्रबन्धक/मंत्री के माध्यम से कराने की व्यवस्था।

11: संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

संस्था के नियमों व विनियमों में किसी प्रकार का संशोधन व परिवर्तन आदि साधारण सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये प्रस्ताव पर रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा।

12: संस्था का कोष लेखा व्यवस्था:

सत्य-प्रतिलिपि

संस्था का कोष संस्था के नाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक या डाकखाने में के नाम खाता खोल कर जमा की जायेगी जिसमें संस्था को प्राप्त समस्त दान, अनुदान, चन्दा व शुल्क इत्यादि की धनराशि जमा की जायेगी जिसके संचालन

निबन्धक/सहायक निबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स

प्रतिलिपिकर्ता

उपमंत्री

आर० के० सोसाइटीज चिट फण्ड्स

काशीपुर, सुराई, आजमगढ़

13

संस्था की भलाई के लिए उपविधियाँ ... करना तथा उन पर
नियंत्रण रखना।

5: कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा ... करना तथा
उनकी सेवा सुरक्षा करना।

6: पदाधिकारियों तथा वैतनिक कर्मचारियों के कार्य का अवलोकन करना तथा
इन पर नियंत्रण रखना।

7: संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, आय व्यय विवरण तथा अन्य विवरणों को
पारित करना तथा साधारण सभा की बैठक में उन्हें स्वीकृत करना।

8: प्रबन्धकारिणी समिति के किसी भी निर्णय पर प्रधान संस्थापक सदस्य के
... के बाद ही विधिमान्य माना जायेगा।

9: कार्यकाल

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष ... तथा ... संस्थापक ...
के प्रधान संस्थापक आजीवन सदस्य है तथा प्रधान संस्थापक की प्रबन्धकारिणी
समिति का प्रबन्धक/मंत्री होगा या उनके द्वारा नामित सदस्य प्रबन्धक/मंत्री
निर्वाचन ... न होकर सिर्फ शेष पदाधिकारियों का एवं
सदस्यों का ... होगा।

10: प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

अ: अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य:-

1: संस्था की बैठकों की अध्यक्षता करना।

2: संस्था के समस्त कार्यों उनकी प्रगति तथा अन्य समस्त आय व्यय आदि पर
सामान्य नियंत्रण रखना तथा प्रबन्धक/मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

3: महत्वपूर्ण लेखों, संस्था के विधान, विवरणों आदि पर स्वीकृति स्वरूप अपना
हस्ताक्षर करना।

4: अपना सुझाव समय-समय पर प्रबन्धक/मंत्री को देना जिससे संस्था का हित हो।

5: यदि अध्यक्ष त्याग पत्र दिया है तो प्रधान संस्थापक सदस्य अध्यक्ष का मनोनयन
करेगा जो शेष अवधि के लिए मान्य होगा।

ब: उपाध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य:-

1: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करना।

2: अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना तथा उनके द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्ण करना

स: प्रबन्धक/मंत्री के अधिकार व कर्तव्य:-

सत्य-प्रतिलिपि

1: प्रबन्धक/मंत्री संस्था के समस्त कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

2: वह संस्था की बैठक बुलायेगा उसका दिन, समय, स्थान तथा ... निश्चित
करके उसकी सूचना सदस्यों को देगा।

सहायक निबन्धक ... एवं चिट्स ... आजमगढ़

3: ... प्राप्तियों की उनकी पक्की स्वहस्ताक्षरित रसीदें देगा ...
... व होंगे उनकी सम्पुष्टि में ... वाउचर आदि का ... होगा।

मिलान कर्ता

प्रतिलिपिकर्ता

प्राचार्य
आर0 के0 होम्योपैथिक कालेज
कासीपुर, सुराई, सठियाँव, आजमगढ़

पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/मंत्री की होगी।

(२१) आय एवं व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट):-

संस्था की आय व्यय का लेखा परीक्षण वर्ष में एक बार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या आडिटर द्वारा कराया जायेगा, आडिट रिपोर्ट साधारण सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत किया जायेगा जो भी आपत्तियां होंगी उसका समाधान प्रबन्धक/मंत्री करेंगे।

(२२) संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

संस्था द्वारा अथवा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/मंत्री पर होगी वही इसकी पैरवी आदि करेंगे। प्रबन्धक या मंत्री किसी भी व्यक्ति को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

(२३) संस्था के अभिलेख: संस्था के अभिलेखा सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर कैश बुक आदि जो संस्था के कार्यालय में प्रबन्धक/मंत्री की देखरेख में रखा जायेगा।

विशेष अभिमत:- डॉक्टर महाविद्यालय समिति इलाहाबाद की समिति कार्यकारिणी में कोई विवाद होने पर समिति का पूरा अधिकार प्रधान संरक्षक सदस्य श्री डा० प्रभाकर पाण्डेय को होगा उनके कठिन परिश्रम, अदम्य साहस, लगन से स्थापना समिति प्रगति की ओर अग्रसर है जिसका अवलोकन करके साधारण सभा इनके प्रभावी नियंत्रण की सराहना करती है। समिति एवं महाविद्यालय को सुचारु रूप से संचालित होने के लिए इनका नियंत्रण स्वीकृत मान्य किया जाता है।

(२४) संस्था का विघटन: संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही सो० रजि० एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

:सत्यप्रतिलिपि:

25/7/02

सत्य-प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद
25-7-02